सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 591 राँची, मंगलवार

7 आश्विन, 1937 (श०)

29 सितम्बर, 2015 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2015

एस० ओ०-73-1702--भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ सह पठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) झारखंड नियमावली, २००६ के प्रयोजनार्थ तथा झारखंडभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की दिनांक १८ दिसम्बर, २०१३ को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखंड राज्यपाल राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित लाभुक श्रमिकों के हित में निम्नलिखित योजना के लिए व्यय की अनुमति प्रदान करतें हैं अर्थात :-

बोर्ड के द्वारा योजनाओं का लाभ अधिकाधिक निबंधित लाभुकों को पहुंचाने, कर्मकारों के निबंधन उनको प्रोत्साहित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का उनके मद प्रचार-प्रसार करने हेतु विशेष प्रयास को देखेते हुए श्रमिक मित्र योजना को स्वीकृति प्रदान की जाती है । यह योजना निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. **<u>श्रमिक मित्र-</u>**

प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम एक श्रमिक मित्र की नियुक्ति की जानी है। वे न तो सरकारी सेवक होंगे, न ही बोर्ड के कर्मी माने जाएँगे तथा नियमित नियुक्ति का उनका कोई दावा स्वीकार नहीं होगा ।

जिस प्रखण्ड में इनकी नियुक्ति की गई है, वह प्रखण्ड इनका क्षेत्राधिकार होगा ।

2. **<u>श्रमिक मित्र के कार्य</u>–**

१. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके योग्य लाभुकों को बोर्ड का सदस्य बनाने हेतु उत्प्रेरित करना । निबंधन प्रपत्र भरने तथा इसके औपचारिकता पूर्ण करने में लाभुकों को सहायता देना ।

२. नामांकित लाभुकों को प्रत्येक वर्ष अपनी अंशदान देने हेतु उत्प्रेरित करना। उनका अंशदान संग्रहित करके बैंक खाता में जमा करना तथा स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक को इसकी सूचना देना ।

३. नामांकित लाभुकों को बोर्ड की योजनाओं से लाभ लेने हेतु उत्प्रेरित करना तथा इस हेतु सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने में सहायता करना ।

3. **<u>अर्हता</u>–**

१. स्वयं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार हो तथा झारखंडभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सदस्य हो ।

२. कम से कम मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हो ।

३. पंचायत/स्थानीय निकाय से संबंधित वार्ड का स्थानीय हो। यदि किसी पंचायत/स्थानीय निकाय से संबंधित वार्ड में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होतें है, तो विशेष परिस्थिति में उसी प्रखण्ड के निकटवर्ती पंचायत/वर्ड के निवासी को श्रमिक मित्र नामित किया जा सकता है ।

४. मोबाइल धारक आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. **<u>मानदेय</u>**-

१. उनके माध्यम से नए लाभुक निबंधन पर प्रति १५/- रुपये की दर से भुगतान । प्रत्येक माह में ५० से अधिक लाभुक का निबंधन करने पर ५० से ऊपर प्रत्येक लाभुक के लिए ५/- रूपये अतिरिक्त मानदेय यथा २०/- रुपये मात्र के दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

२. जितने लाभुकों के नवीकरण के अंशदान श्रमिक मित्र के माध्यम से जमा किए जाएँगे उन्हें प्रत्येक लाभुक हेतु १०/- रुपये का मानदेय दिया जाएगा ।

३. जनश्री बीमा योजना तथा एन० पी० एस० योजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं का लाभ श्रमिक मित्र के माध्यम से दिये जाने पर योजनावार १०/- रुपये का मानदेय दिया जाएगा ।

४. श्रमिक मित्र को मोबाइल Talk-time कूपन हेतु प्रतिमाह १००/- रुपये प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

5. **<u>नियुक्ति प्रक्रिया</u>**-

अर्हता प्राप्त आवेदकों से प्रखण्ड स्तर पर आवेदन आमंत्रित करके एक चयन समिति के माध्यम से श्रमिक मित्र का चयन किया जाएगा ।

<u>चयन समिति</u>–

१. संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी -अध्यक्ष
२. संबंधित अंचल के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी -सदस्य
३. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि (शहरी क्षेत्र के लिए) –सदस्य
४. संबंधित अंचल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी – सदस्य सचिव

इस योजना से संबंधित व्यय, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 591—50+500